

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 609/2008/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वृत्त जयपुर जोन द्वितीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्याम एंटरप्राइजेज,
विधाधर नगर, हाल जी 54, अम्बर टावर,
संसारचंद रोड, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक।
श्री रमेशचन्द्र गुप्ता,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 90/आरएसटी/अपील्स-चतुर्थ/जेपीएफ में पारित आदेश दिनांक 31.07.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त जयपुर जोन द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2005 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29, 58 एवं 65 के तहत कायम कर मय सरचार्ज रुपये 34,491/- धारा 58 के तहत ब्याज रुपये 12,813/- व धारा 65 के तहत शास्ति रुपये 78,978/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 15.09.2004 को किया गया। फर्म द्वारा पीवीसी मिडियम ग्रीन पाईप, पीवीसी पाईप जोईट लिक्विड, लिक्विड सेटिंग ल्यूब्रिकेंट के खरीद बिक्री की जा रही थी। जांच अधिकारी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि व्यवसाई द्वारा प्लास्टिक पाइप की बिक्री न की जाकर "हौज पाईप" की बिक्री की जा रही थी जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 8 प्रतिशत की कर दर निर्धारित है अतः धारा 29, 58 एवं 65 के तहत आदेश पारित कर 4 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज तथा शास्ति आरोपित की गई जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.07.2007 के द्वारा स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अलौच्य वर्ष में जो पीवीसी मिडियम ग्रीन पाईप के नाम से बिक्री की गई है वह वास्तव में हौज

लगातार.....2

पाईप है क्योंकि उक्त माल की प्रकृति तथा निर्माण तकनीक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पाईप अधिकतम दबाव सह सकने के कारण पीवीसी पाईप से भिन्न प्रकार का है तथा इसका उपयोग साधारण पीवीसी पाईप के उपयोग से भिन्न होता है। अतः यह हौज पाईप की श्रेणी में आता है, जिस पर 8 प्रतिशत से "कर दर" लागू है। इसी तरह बिक्री किए गए माल PVC jointing liquid and setting lubricant भी केमिकल न होकर सामान्य श्रेणी से कर योग्य है। अतः कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से इसे अपास्त किया है अतः इसे बहाल किया जावे।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी पीवीसी पाईप, पाईप फिटिंग व फिटिंग एडेसिव की बिक्री करता है। कर निर्धारण अधिकारी ने रूपये 3,45,815/- पीवीसी फ्लेक्सिबल पाईप की बिक्री सम्पन्न की है जिसकी कर दर अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि संख्या 46 के अनुसार 4 प्रतिशत निर्धारित है। प्रत्यर्थी ने कथन किया कि पीवीसी जाइन्टींग लिक्विड एक केमिकल है, जो 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जॉच रिपोर्ट में माल पीवीसी मीडियम ग्रीन पाईप को पीवीसी पाईप से अन्यथा होने का कोई आधार नहीं दिया है। इसी तरह Joint liquid को Chemical नहीं माना है, जबकि वे पाईप को जोड़ने के कार्य में केमिकल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(30)एफडी/टैक्स डिवी0/2002-143 दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि नं0 46 में अंकित वस्तुओं "PVC pipes, H.D.P.E. pipes, plastic pipes and fittings thereof. पर 4%" कर दैय है। चूंकि उक्त प्रविष्टि में सभी तरह के पीवीसी एवं प्लास्टिक पाईप को 4 प्रतिशत से कर योग्य रखा गया है उस स्थिति में उसकी क्षमता से कोई सम्बन्ध लिखते हुए अकारण हौज पाईप लिखते हुए इस प्रविष्टि से अलग नहीं किया जा सकता अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जाइन्टींग लिक्विड को केमिकल नहीं मानने का कोई आधार नहीं दिया है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.09.2004 को प्रत्यर्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया था कि उनके द्वारा विक्रय किए जाने वाला जाइन्टींग लिक्विड केवल मात्र पाईप फिटिंग में ही काम में आता है जो एक केमिकल भी है एवं इसे पाईप फिटिंग में काम आता है। यह भी परिज्ञान में लाया गया था कि वह लिक्विड किसी भी वस्तु को चिपकाने में प्रयोग में नहीं आता है बल्कि केवल पाईप फिटिंग के लिए हैं एवं बिना किसी आधार के केमिकल के रूप में ही प्रयुक्त होता है। प्रत्यर्थी के माल "केमिकल" को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य दर से करारोपण योग्य माना जो उचित नहीं था अतः अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश को अविधिक ठहराये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

8. फलतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(कै.एल.जैन)
सदस्य